

**फॉर्म एनएल-18-प्रावधान अनुसूची
प्रावधान**

	विवरण	30 जून 2016 तक (₹ '000)	30 जून 2015 तक (₹ '000)
1	अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व	436,35,76.71	509,23,73.18
2	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	110,21,15.39	-
3	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए रिजर्व	2,44,24.00	10,93,23.56
4	कराधान के लिए - आयकर (अग्रिम कर का शुद्ध)	-	-
5	प्रस्तावित लाभंशों के लिए	65,00,00.00	-
6	लाभंश वितरण कर के लिए	13,23,24.71	-
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए - छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - ग्रेच्युटी - पेंशन	41,25,78.24 8,92,95.86 27,80,53.86	38,22,40.30 8,25,75.51 59,27,12.13
8	कम कारोबार के शेरों के लिए	-	3,59,20.19
	कुल	705,23,68.77	629,63,30.08

<https://www.ecgc.in>